18/3/26

पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित।
वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री पारित हो विरुद्ध
डिक्री अलग से तैयार कराकर शामिल मिसल किया
गया डिक्री जारी हो नकल से जारी हो
डिक्री मुताबिक जारी हो

GCMS
2025/524

BV
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्याः– 262/2025 दायरा दिनांकः– 13.08.2025

GCMS:- 2025/524

–: अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र संतराम पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एस.एच.पी.डी. ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. रिछपाल पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एस.एच.पी.डी. ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. पवन पुत्र देवीलाल पुत्र सुरजाराम
2. सुभाष पुत्र सुरजाराम

} जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एस.एच.पी.डी.ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

3. राजस्थान सरकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ पैरोकार राज.।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादीगण
2. पूनम बिश्नोई, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 18/3/2026

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी न. 1 ता 2 के नाम से चक 2 एस.एच.पी.डी. ए पटवार हल्का 6 एस.एच.पी.डी. भू. अभि. नि. क्षेत्र सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2071 ता 2073(अंतिम चौसला आधार संवंत 2071–2073 जमाबंदी 2077 वर्ष 2021 से स्थायी) के खाता संख्या 25/25 में पत्थर नम्बर 71/324 मु.न. 5 के किला नम्बर 1 ता 4 व 6 ता 25 का 6.0720 हैक्टेयर क.अ. रकबा वादी न. 1 – 2 व प्रतिवादी न. 1–2 प्रत्येक चारो का 1/4, 1/4 ब. हि.ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त में चली आ रही हैं व इसी प्रकार से इसी चक के पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 का 1.265 हैक्टेयर रकबा ... वादी ... व प्रतिवादी न. 2 के नाम से जमाबंदी संवंत 2071 ता 2073 के खाता ... 40/22, 41/22 व 39/22 में दर्ज होकर अपने हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से जो संयुक्त भूमि चक 2 एस.एच.पी.डी. ए के पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक बीघा में 0.0250 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता पत्थर लाईन पर उतर से दक्षिण किला नम्बर 25 तक दर्ज राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद संख्याः– 262/2025

रिकार्ड हैं व यह रास्ता कि.न. 25 पर जाकर बंद हो जाता हैं चूंकि उससे आगे दक्षिण में जो पत्थर नम्बर 71/325 व 72/325 हैं उनमें कि.न. 21 ता 25 की लाईन पर पूर्व से पश्चिम 2 – 2 बिस्वा रास्ता मंजूरशुदा दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर मौका पर चल रहा हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण का पत्थर नम्बर 71/324 व पत्थर नम्बर 72/324 का रकबा आपस में मिल कर एक ब्लॉक बनता हैं परन्तु पत्थर नम्बर 72/324 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में इन बीघो के पूर्व की तरफ पत्थर लाईन पर रास्ता होने से वादीगण व प्रतिवादीगण का खेत दो भागो में बंट जाने से काश्त करने में पानी लगाने में व पशुओ व हिरण व नीलगाय आदि जानवरो को रोकने के लिए दो टुकड़ो में तारबंदी की जानी बहुत कठिन व बहुत मंहगी पड़ती हैं व इससे हम काश्तकारो को बहुत बड़ा नुकसान फसल का भी होता हैं व काश्त करने में हर समय कठिनाई पैदा होती हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के खेत पत्थर नम्बर 72/324 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में जो 2 – 2 बिस्वा रास्ता हैं उसको इन्ही किलो में पश्चिमी भाग किला नम्बर 4–7–14–17–24 के चिपते हुए वादीगण व प्रतिवादी के खेत में मंजूर कर दिया जावे व जहां पूर्वी साईड में अब रास्ता पत्थर लाईन के चिपते हुए हैं उस भूमि को वादीगण व प्रतिवादी न. 2 के नाम से खातेदारी की घोषित की जावे व इतनी ही भूमि इन्ही बीघो में पश्चिमी भाग में 2–2 बिस्वा गै.मु. रास्ता की घोषित की जावे ताकि वादीगण व प्रतिवादीगण का पूरा खेत एक ब्लॉक का हो जाने से काश्त करने व अन्य प्रकार की भी सुविधा होगी व एक ब्लॉक होने से पैदावार भी बढ़ेगी जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण को तो लाभ होगा ही, अधिक अन्न पैदा होने से राष्ट्र को भी आर्थिक लाभ होगा व इससे किसी भी पक्षकार या राज्य के हित पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन बीघो के उतरी तरफ वाले पत्थर में कि.न. 4 ता 7, 14 ता 16 की भूमि रकबा राज हैं। बाकी चारो तरफ सब काश्तकारो को अपने अपने खेतो को जाने के लिए रास्ते की सुविधा उपलब्ध हैं व वादीगण अपने खेत में स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त नहीं करवा रहे हैं बल्कि उन्हीं बीघो में स्थान परिवर्तन की घोषणा चाहते हैं। वादीगण जितना रकबा जिन बीघो में मंजूर रास्ते का 0.125 हैक्टेयर खातेदारी में घोषित करवाना चाहते हैं उतना ही रकबा उन्हीं बीघो में पश्चिमी भाग में 0.125 हैं गैरमुमकिन रास्ता घोषित करवाकर रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं व मौका पर यही रास्ता चल रहा हैं जहां से वादी घोषित करवाना चाहते हैं। वादीगण ने रास्ते को परिवर्तन करवाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2025 को श्रीमान तहसीलदार जी को प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि यह अधिकार क्षेत्र सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को है वहीं जाकर अपना दावा प्रस्तुत करें। तहसीलदार जी द्वारा रास्ता परिवर्तन करने से इन्कार करना ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण व आधार हैं। अतः निवेदन हैं कि वाद पत्र वादीगण अनुतोष क ता ग अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सूचना देने पर प्रतिवादी सं[illegible] की तरफ से इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत होने पर शामिल [illegible] पत्र का विरोध नहीं करने पर पत्रावली साक्ष्य वादी [illegible] अपने साक्ष्य करवाये जिन पर जिरह निल रही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की [illegible]स सुनी गई। योग्य अधिवक्ता ने वाद पत्र के बिन्दुओ को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा किसी प्रकार से रास्ता निरस्त करवाने का अनुतोष नहीं चाहा बल्कि जो रास्ता मंजूरशुदा हैं उसका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद संख्याः– 262/2025

उन्हीं किलो में पूर्वी पासा के स्थान पर पश्चिमी पासा में स्थान परिवर्तन का अनुतोष चाहा हैं। इस प्रकार जो गैं.मु.रास्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि में पूर्वी पासा में दर्ज हैं उसे वादीगण व प्रतिवादीगण के खातेदारी में जोड़कर यह रास्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि के पश्चिमी पासा में गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज कर दी जावे। इस रास्ता की आवश्यकता भी आगे वाले काश्तकार को नहीं हैं फिर भी वादीगण मात्र रास्ता का स्थान परिवर्तन करवाना चाहते हैं जो कि उन्हीं किला नम्बर में किया जाना हैं जिसका श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार भी हैं। अभिभाषक वादीगण ने अपने कथनो के समर्थन में कानूनी नजीरे WLN 1988(2) पेज 183, RRT 2003(1) पेज 27, RRD 1993 पेज 283 प्रस्तुत की जिनमें यह प्रतिपादित किया गया हैं कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नया रास्ता स्वीकृत करने, रद्द करने व परिवर्तन करने के लिए सक्षम हैं। वादीगण द्वारा मात्र अपने रकबा में स्थित रास्ता का स्थान परिवर्तन का अनुतोष चाहता हैं इसलिए वाद पत्र वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि वाद पत्र वादीगण उचित हैं तथा डिक्री किये जाने योग्य हैं इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वाद पत्र डिक्री किये जाने में पूर्णतया सहमत हैं।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों व रिकार्ड के अनुसार चक 2 एस.एच.पी.डी. ए के पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 प्रत्येक में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता दर्ज हैं जो खाता संख्या 1 में दर्ज हैं तथा इस पत्थर नम्बर में रास्ता के अलावा रकबा किला नम्बर 5/1, 6/4 में खाता संख्या 40/22 में राजेन्द्र कुमार वादी संख्या 1 के नाम से, किला नम्बर 6/3, 15/3 में खाता संख्या 39/22 में रिछपाल वादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हैं व इसी प्रकार किला नम्बर 15/4, 16/1, 25/1 में खाता संख्या 41/22 में सुभाषचन्द्र प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमत होकर उक्त रास्ता को अपने रकबा में पश्चिमी पासा में स्वीकृत करवाना चाहते हैं तथा पूर्व में स्वीकृत रास्ता को अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाना चाहते हैं जिससे उन्हे रकबा काश्त करने में व तारबन्दी में करने में आसानी हो सके। अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर अनुसार इस प्रकार रास्ता में परिवर्तन किये जाने पर कोई कानूनी बाधा नहीं हैं। इस प्रकार सहमती के आधार पर वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि चक 2 एस.एच. पी.डी. (ए) पटवार हल्का 6 SHPD तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 40 नया 22 पुराना में पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 5/1 में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिमी दिशा), 6/4 में 0.006 हैक्टेयर(पश्चिमी दिशा) भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करने व इसके बदले में इसी चक के खाता संख्या 1 में स्थित पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद संख्याः– 262/2025

नम्बर 5/2 की 0.025 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता व 6/2 में 0.025 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से 0.006 हैक्टेयर भूमि को वादी सख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र संतराम के नाम से खातेदारी दर्ज करने व इसी चक के खाता संख्या 39 नया, 22 पुराना के पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 6/3 में 0.019 हैक्टेयर (पश्चिमी दिशा) भूमि व किला नम्बर 15/3 में 0.01250 हैक्टेयर (पश्चिम दिशा) भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज करने व इसी चक के खाता संख्या 1 में स्थित पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 6/2 में 0.0250 हैक्टेयर में 0.019 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता की भूमि व किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता की भूमि में 0.01250 हैक्टेयर भूमि को वादी सख्यां 2 रिछपाल पुत्र सुरजाराम के नाम से खातेदारी दर्ज करने तथा इसी चक के खाता संख्या 41 नया, 22 पुराना में पत्थर नम्बर 15/4 में 0.01250 हैक्टेयर(पश्चिम दिशा) भूमि, किला नम्बर 16/1 में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिम दिशा) भूमि , किला नम्बर 25/1 में 0.0250 हैक्टेयर(पश्चिमी दिशा) भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज करने व इसी चक के खाता संख्या 1 में स्थित पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता की भूमि में 0.01250 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 16/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता, किला नम्बर 25/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता की भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 सुभाषचन्द्र पुत्र सुरजाराम के नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। इस प्रकार काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमती से रास्ता परिवर्तन किया गया हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में जितना रकबा नया रास्ता कायम किया हैं उतना ही रकबा पूर्व में स्वीकृत रास्ता में रकबा वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 के नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। जो भूमि गै.मु.रास्ता में स्वीकृत की गई हैं उसे पुनः खाता संख्या 1 में जोड़ी जावे। जमाबंदी के शेष अंकन यथावत रखे जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र संतराम पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एस.एच.पी.डी. ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. रिछपाल पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एस.एच.पी.डी. ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. पवन पुत्र देवीलाल पुत्र सुरजाराम } जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एस.एच.पी.डी.ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. सुभाष पुत्र सुरजाराम }
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ पैरोकार राज.।

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 262 वर्ष 2025 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2 पूनम बिश्नोई व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि चक 2 एस.एच.पी.डी. (ए) पटवार हल्का 6 SHPD तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 40 नया 22 पुराना में पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 5/1 में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिमी दिशा), 6/4 में 0.006 हैक्टेयर(पश्चिमी दिशा) भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करने व इसके बदले में इसी चक के खाता संख्या 1 में स्थित पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 5/2 की 0.025 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता व 6/2 में 0.025 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से 0.006 हैक्टेयर भूमि को वादी सख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र संतराम के नाम से खातेदारी दर्ज करने व इसी चक के खाता संख्या 39 नया, 22 पुराना के पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 6/3 में 0.019 हैक्टेयर (पश्चिमी दिशा) भूमि व किला नम्बर 15/3 में 0.01250 हैक्टेयर (पश्चिम दिशा) भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज करने व इसी चक के खाता संख्या [illegible] स्थित पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 6/2 में 0.0250 हैक्टेयर में 0.01[illegible] हैक्टेयर गै.मु. रास्ता की भूमि व किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता [illegible] भूमि में 0.01250 हैक्टेयर भूमि को वादी सख्यां 2 रिछपाल पुत्र सुरजाराम के नाम से खातेदारी दर्ज करने तथा इसी चक के खाता संख्या 41 नया, 22 पुराना में पत्थर नम्बर 15/4 में 0.01250 हैक्टेयर(पश्चिम दिशा) भूमि,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किला नम्बर 16/1 में 0.025 हैक्टेयर (पश्चिम दिशा) भूमि , किला नम्बर 25/1 में 0.0250 हैक्टेयर(पश्चिमी दिशा) भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज करने व इसी चक के खाता संख्या 1 में स्थित पत्थर नम्बर 72/324 मु.न. 6 के किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता की भूमि में 0.01250 हैक्टेयर भूमि, किला नम्बर 16/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता, किला नम्बर 25/2 में 0.0250 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता की भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 सुभाषचन्द्र पुत्र सुरजाराम के नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। इस प्रकार काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमती से रास्ता परिवर्तन किया गया हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में जितना रकबा नया रास्ता कायम किया हैं उतना ही रकबा पूर्व में स्वीकृत रास्ता में रकबा वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 के नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। जो भूमि गै. मु.रास्ता में स्वीकृत की गई हैं उसे पुनः खाता संख्या 1 में जोड़ी जावे। जमाबंदी के शेष अंकन यथावत रखे जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18/03/2026 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.19 13:36:05 IST
Reason: SelfAttested